| |
|---|
| **दिनांक 19.07.2025** |
| **प्रेस विज्ञप्ति 28/2025** |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**<u>जनपद कौशाम्बी/थाना मंझनपुर</u>**

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.07.2025 को थाना मंझनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अवसाब घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मंझनपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मंझनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1—अवसाब निवासी काशीराम कालोनी समदा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी।

**<u>बरामदगी</u>**

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

**जनपद सोनभद्र/थाना बभनी**

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 16 लाख रूपये (कीमत) के 73 किलो 360 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनॉकः 18.07.2025 को थाना बभनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नधिरा के जंगल से अभियुक्त प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 16 लाख रूपये (कीमत) के 73 किलो 360 ग्राम अवैध गांजा घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना बभनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—प्रकाश निवासी हरपुर थाना कोतवाली जनपद बलिया।

**बरामदगी**

1—लगभग 16 लाख रूपये (कीमत) के 73 किलो 360 ग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त कार।

➢ **जनपद औरैया/थाना अजीतमल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अजीतमल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त श्रीप्रकाश को आजीवन कारावास व 52 हजार रूपये दण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना रामघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना रामघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पवन को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये दण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना सुमेरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुभाष चन्द्र को सश्रम आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये दण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना हुजूरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा व 13–13 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना हुजूरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/149/302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्तगण 1–बराती 2–बेचन खॉ 3–अय्यूब उर्फ मैकू 4–जाविर 5–मिठाईलाल को आजीवन कारावास व 13–13 हजार रूपये दण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शाहजहॉपुर/थाना सेहरामऊ दक्षिणी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहॉपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहॉपुर द्वारा थाना सेहरामऊ दक्षिणी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/354/323/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रवीण उर्फ भूरे को 12 वर्ष के कारावास व 10 हजार 500 रूपये दण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अलीगढ़ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 60 करोड़ 89 लाख 49 हजार 195 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद अलीगढ़ पुलिस ने अभियुक्त 1–अजीत कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी गॉव यूसुफपुर चक सबेरी साई उपवा सोसाइटी के पास पुराना हैबदपुर ग्रेटर नोएडा 2–श्रवण कुमार पुत्र चौधरी राय निवासी एफ 53ए 11 धर्म कांपलेक्स मेमोरियल विद्यालय विशनपुर नोएडा, गौतमबुद्धनगर 3–प्रवीन कुमार पुत्र हरिहर निवासी 110ए दुर्गापुर शान्ति विहार चिपयाना खुर्द तिगरी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 60 करोड़ 89 लाख 49 हजार 195 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

————————